राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY
खनिज भवन / Khanij Bhawan, उदयपुर / Udaipur-313001
दुरभाष / Phones:2415091-95, E-mail : ada.uda.mg@rajasthan.gov.in

क्रमांक–निदे / प.7(ा)9 / जांच / 2015(ई–08111) **दिनांक–यथा हस्ताक्षरित**

आदेश

श्री अजय मेहता, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 03.08.2010 से 14.07.2015 तक के मध्य विभिन्न अवधि में कुल 370 दिवस तक स्वेच्छा से अनुपस्थिति के प्रकरण में राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अंतर्गत विभागीय जांच विचाराधीन होने से निदेशालय आदेश दिनांक 30.07.2015 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय निदेशालय, उदयपुर किया गया तथा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु ज्ञापन क्रमांकः निदे / प–7(ा)9 / जांच / 15 / 413 दिनांक 03.08.2017 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया जाकर निम्न आरोप अधिरोपित किये गये :–

''यह कि आपके द्वारा दिनांक 03.08.2010 से 14.07.2015 तक के मध्य विभिन्न अवधि में कुल 370 दिवस (अवधि का विवरण आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र में उल्लेखित) का अवकाश, बिना नियंत्रण अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के उपभोग किये गये, जिससे कार्यालय कार्य में निरन्तर व्यवधान रहा एवं अपने उच्चाधिकारी के आदेशों की अवहेलना एवं राज्य कार्य के प्रति जान बूझकर बरती जाने वाली लापरवाही को दर्शाता है, जिसके लिए आप उत्तरदायी हैं, जैसा कि अभिकथनों के विवरण में अंकित है।''

श्री मेहता के विरूद्ध जारी उक्त ज्ञापन दिनांक 03.08.2017 की विधिवत जांच हेतु निदेशालय आदेश दिनांक 21.11.2017 के द्वारा अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा को जांच अधिकारी नियुक्ति किया गया। प्रकरण में जांच अधिकारी–अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में श्री मेहता के विरूद्ध जारी ज्ञापन दिनांक 03.08.2017 से अधिरोपित आरोपों को प्रमाणित माना गया।

उक्त ज्ञापन के अतिरिक्त श्री मेहता को निदेशालय आदेश दिनांक 14.09.2017 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया जाकर पदस्थापन निदेशालय, उदयपुर किया गया जिसकी पालना में दिनांक 05.01.2018 को श्री मेहता निदेशालय में उपस्थिति दी गई। इसी क्रम में श्री मेहता को निदेशालय आदेश दिनांक 10.01.2018 के द्वारा सर्तकता अनुभाग आवंटित करने पर उक्त अनुभाग में दिनांक 21.02.2018 को उपस्थित हुए। तत्पश्चात श्री मेहता दिनांक 26.03.2018 से बिना सक्षम स्वीकृति एवं कार्यालय को बिना सूचना दिए आज दिनांक तक कार्यालय से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं।

RajKaj Ref No.:
22559928

Signed by: MAHAVEER PRASAD MEENA,
Director
Date: 2026-06-02
06:49:13 +05:30

v-1.0

जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के क्रम में श्री मेहता को विधिवत अपना पक्ष रखने के लिए अभ्यावेदन/जवाब प्रस्तुत करने हेतु निदेशालय पत्र दिनांक 30.01.2025 से लिखा गया जो उनके मूल पते पर उनकी पत्नी श्रीमती आशा मेहता को तामिल कराया गया किन्तु उक्त पत्र के क्रम में भी श्री मेहता द्वारा कोई अभ्यावेदन/प्रत्युत्तर प्रेषित नहीं किया गया। तत्पश्चात राजस्थान सेवा नियम के नियम–86(3) के तहत निदेशालय पत्र दिनांक 16.10.2025 के द्वारा अंतिम नोटिस जारी कर उनके मूल पते पर उनकी पत्नि को तामिल कराते हुए स्थानीय समाचार पत्र 'राजस्थान पत्रिका' के संस्करण दिनांक 17.10.2025 में प्रकाशित कराया गया। तदुपरांत भी श्री मेहता कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और ना ही कोई प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया।

श्री अजय मेहता के विरूद्व जारी ज्ञापन दिनांक 03.08.2017 तथा कार्यालय से दिनांक 26.05.2018 से आज दिनांक तक स्वेच्छा से लगातार अनुपस्थिति के प्रकरण का परीक्षण कर प्रकरण में निर्णय की अनुशंषा करने हेतु निदेशालय आदेश क्रमांक निदे/प–7(ा)09/जांच/2015 राजकाज रेफरेन्स संख्या 15228144 दिनांक 11.05.2025 एवं समसख्यक संशोधन आदेश दिनांक 26.11.2025 के द्वारा निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन) की अध्यक्षता में वित्तीय सलाहकार एवं उप विधि परामर्शी की समिति का गठन किया गया। उक्त समिति की बैठक दिनांक 14.05.2026 को आहूत की गयी एवं प्रकरण का विस्तृत परीक्षण करते हुए निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

> ''चूंकि श्री मेहता के विरूद्ध जारी ज्ञापन अन्तर्गत सीसीए–16 से अधिरोपित आरोपों को जांच अधिकारी द्वारा प्रमाणित माने गए है तथा श्री मेहता दिनांक 26.03.2018 से बिना सक्षम स्वीकृति एवं कार्यालय को बिना सूचना दिए आज दिनांक तक कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहे हैं जिससे यह प्रकट होता है कि श्री मेहता राजकीय सेवा नियमों की पालना करने में विफल रहे हैं एवं राजकीय सेवा में बने रहने के इच्छुक भी नहीं है।
>
> अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के विवेचन जांच अधिकारी अखअ भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट तथा कार्मिक श्री अजय मेहता को अपना पक्ष रखने हेतु दिए गए समुचित अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए, समिति **श्री अजय मेहता, कनिष्ठ लिपिक** को राजस्थान सेवा नियम के नियम 86(3) एवं सीसीए–16 के तहत जारी ज्ञापन में सीसीए नियम–14(VI) के तहत निर्धारित शास्ति **राजकीय सेवा से हटाए जाने (Removal from Service)** की अनुशंषा करती है। ''

श्री अजय मेहता, कनिष्ठ सहायक के विरूद्ध सीसीए–16 के तहत जारी ज्ञापन में अधिरोपित आरोपों के सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, निदेशालय द्वारा गठित समिति की अनुशंसा एवं उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्री मेहता द्वारा इस अवधि में ना तो कोई अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और ना ही उन्होनें कार्यालय में कोई सम्पर्क किया है जबकि श्री अजय मेहता को अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर दिए गए है। उक्त से यह स्पष्ट होता है कि श्री मेहता राजकीय सेवा नियमों की पालना करने में एवं अपने पद के दायित्वों के निर्वहन में असफल रहें है तथा वे राजकीय सेवा में बने रहने के इच्छुक नही है। इस प्रकार श्री अजय मेहता, कनिष्ठ

RajKaj Ref No.:
22559928

Signed by: MAHAVEER PRASAD MEENA,
Director
Date: 2026-06-02 06:49:13 +05:30

v-1.0

सहायक राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम–1958 के तहत राजकीय सेवा से हटाये जाने के योग्य है।

अतः श्री अजय मेहता, कनिष्ठ सहायक को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–16 के तहत जारी ज्ञापन दिनांक 03.08.2017 में अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाए जाने से राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–14(VI) के तहत निर्धारित शास्ति **राजकीय सेवा से हटाए जाने (Removal from Service)** के दण्डादेश से दण्डित किया जाता है।

(eSign)
(एम.पी.मीणा)
निदेशक
खान एवं भू विज्ञान विभाग
राजस्थान,उदयपुर।

क्रमांक–निदे/प.7(II)9/जांच/2015(ई–08111) **दिनांक–यथा हस्ताक्षरित**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव–निदेशक/अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), के.का.,उदयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान–सतर्कता–मुख्या.), के.का., उदयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (खान), उदयपुर, जोन–उदयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.), DMGOMS, के.का.,को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता–मुख्या), के.का.,उदयपुर।
8. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा–वृत, भीलवाडा।
9. नियुक्ति अनुभाग, केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर।
10. श्री अजय मेहता, कनिष्ठ सहायक **द्वारा–**अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा को भेज कर लेख है कि रजिस्टर्ड पते पर तामील करा, तामील रसीद निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित् करें।
11. स्ट्रेन्थ लिपिक/बिल लिपिक/बजट अनुभाग/एसीआर प्रकोष्ठ/भण्डारपाल/पुस्तकालय/रोकपाल, के.का, उदयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

RajKaj Ref No.:
22559928

Signed by: MAHAVEER PRASAD MEENA,
Director
Date: 2026-06-02
06:49:13 +05:30

v-1.0